उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार 14 बैशाख, शक संवत्, 1923

(दिनांक : 4 मई, 2001)
समय : 11: 00 बजे पूर्वाहन्

1— अल्प सूचित प्रश्न (देखिये नत्थी (क))

2— अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी (ख))

3— सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों ।

4— मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों ।

5— कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

6— आबकारी मंत्री ''संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

7— आबकारी मंत्री '' संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 '' को पुरःस्थापित करेंगे।

8— वन एवं पर्यावरण मंत्री ''उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

9— वन एवं पर्यावरण मंत्री ''उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक 2001 को पुरःस्थापित करेंगे।

10— वन एवं पर्यावरण मंत्री ''भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

11— वन एवं पर्यावरण मंत्री ''भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक 2001 को पुरःस्थापित करेंगे।

.........2/—

12— निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरणः—

क0सं0	प्रस्तावक का नाम	संकल्प
1—	श्री मुन्ना सिंह चौहान,	" यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता करता है कि रवांई—जौनपुर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को अनुसूचित जनजाति में तथा तराई क्षेत्र में निवास करने वाली बंगाली जातियों को अनुसूचित जातियों में घोषित किया जाय।"
2—	डा0 इन्दिरा हृदयेश,	"इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय।"
3—	श्री भारत सिंह रावत	"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछडे वर्ग के जातिगत प्रतिशत के आधार पर हो।
4—	श्री अम्बरीष कुमार	"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में पालिथीन के प्रयोग, विक्रय एवं क्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।"
5—	श्री राम सिंह सैनी	"इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र से सटे प्रदेश के क्षेत्र के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछडे वर्ग के लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं, मेडिकल कालेजों तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।"

13— निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुत किया जाना :—

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
श्री मुन्ना सिंह चौहान	" यह सदन संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है।"

14— आबकारी मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि "संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर, , विचार किया जाय।

...........3/—

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1— श्री राम सिंह सैनी 2— श्री मुन्ना सिंह चौहान 3— श्री अम्बरीश कुमार	''संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।'' (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जाएगें)

15— आबकारी मंत्री यह प्रस्ताव करेगें कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय।

16— निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुत किया जाना :—

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
श्री मुन्ना सिंह चौहान	यह सदन ''उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है।''

17— वन मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि ''उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1— श्री राम सिंह सैनी 2— श्री अम्बरीश कुमार 3— श्री मुन्ना सिंह चौहान	''यह सदन ''उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जाएगें)

18— वन मंत्री यह प्रस्ताव करेगें कि '' उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय।''

19— नियम—51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून।

दिनांक : 4 मई 2001

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र)

सचिव